कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल शर्मा पता– एम 118 सी, महेश कॉलोनी, जे पी अण्डरपास के पास, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान–302015।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी(अति० जिला कलक्टर) दौसा व लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई जिला दौसा।

अपील सं० 47/2020

निर्णय दिनांक : 25.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलक्टर) दौसा व लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई जिला दौसा को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक की छाया प्रति पत्रांकः डी०एम० /कोर्ट /आरटीआई/2020/2219–20 दिनांक 10.11.2020 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलक्टर) दौसा ने अपने पत्रांक 1044 दिनांक 20.11.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई जिला दौसा से संबंधित होने के कारण पत्रांक 806–808 दिनांक 16.09.2020 के संलग्न आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के द्वारा अपीलांट को सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए प्रति इस कार्यालय को जरिये पत्र क्रमांक 3401 दिनांक 24.11.2020 भी भिजवाई गई है। उक्त पत्रादि की छायाप्रति पत्रावली मे संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा